कार्यालय अधिष्ठाता छात्र कल्याण
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय
मेरठ – 250 110 (उ0प्र0)

डा0 मुकेश कुमार
नोडल अधिकारी (छात्रवृत्ति)

पत्रांक : अ0छा0क0/2022/ 10311
दिनांक : 09.11.2022

अति आवश्यक सूचना

विश्वविद्यालय में अध्ययनरत उन समस्त छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है कि इस समय शैक्षणिक वर्ष 2022–23 हेतु छात्र/छात्राऐं समाज कल्याण विभाग से प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आनलाइन आवेदन कर रहे है । ऐसे छात्र/छात्राऐं यह सुनिश्चित कर लें कि सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्प संख्यक वर्ग के छात्र/छात्राओं के अभिभावक की वार्षिक आय रू0 2,00,000.00 (रूपया दो लाख मात्र तथा अनुसूचित/अनुसूचित जन जॉति वर्ग के छात्र/छात्राओं के अभिभावको की वार्षिक आय रू0 2,50,000.00 (रूपया दो लाख पचास हजार मात्र) से अधिक न हो ।

यहाँ पर यह भी अवगत कराना है कि कुछ छात्र/छात्राऐं ऐसा मान कर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आनलाइन आवेदन कर रहे है, कि उनके अभिभावक सरकारी सेवा में नही है और प्राइवेट सेवा या अन्य व्यवसाय जिससे एक वर्ष मे उनकी आय कई लाखों में प्राप्त होती है लेकिन छात्र/छात्राऐं अपने अभिभावको की आय कम कर कर अथवा अभिभावको को बिना बताये उनकी वार्षिक आय को छिपा कर रू0 2,00,000.00 (रूपया दो लाख मात्र) तथा रू0 2,50,000.00 (रूपया दो लाख पचास हजार मात्र) से कम आय प्रमाण पत्र बनवा कर आनलाइन आवेदन करते है । यह कार्य अपराध की श्रेणी मे आता है ।

यहाँ पर यह भी अवगत कराना है कि आज के समय में समस्त अभिभावको जिनका किसी भी बैंक में खाता चल रहा / रहे है वे समस्त खाता आज के समय आधार कार्ड एवं पेन कार्ड से लिंक हो चुके है, ऐसी स्थिति छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आनलाइन भरे जाने वाले आवेदन पत्र में अपने–अपने माता एवं पिता के आधार कार्ड सं0 से मिलान होने पर एन0आई0सी0, लखनऊ द्वारा स्वतः निरस्त माने जायेगें ऐसी स्थिति में इस प्रकार के आवेदन पत्रों के लिए अधिष्ठाता छात्र कल्याण कार्यालय की कोई जिम्मेवारी नही होगी ।

इसके उपरान्त भी यदि किसी छात्र/छात्रा को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त होती है और बाद में उनके उपर कोई आरोप बनता है या सिद्ध होता है तो ऐसी स्थिति में इस कृत्य के लिए छात्र/छात्रा एवं उनके अभिभावकगण पूर्णतः जिम्मेवार होगें । विश्वविद्यालय प्रशासन अथवा अधिष्ठाता छात्र कल्याण कार्यालय की कोई जिम्मेवारी नही होगी ।

09/11/22
(मुकेश कुमार)
नोडल अधिकारी, समाज कल्याण
(छात्रवृत्ति)

प्रतिलिपि :

1. प्रभारी अधिकारी, आई0टी0 सैल को इस आशय के साथ प्रेषित कि पत्र को यथाशीघ्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपनोड करा दें ।
2. समस्त अधिष्ठाताओं को सूचनार्थ ।
3. कुलसचिव को सूचनार्थ ।
4. माननीय कुलपति जी के निजी सहायक को माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ ।